HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 430/2026

Smt. Pooja Punia Wife Of Shri Praveen Kumar

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Amit Singh Shekhawat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>25/05/2026</u>

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्तगण का निवेदन है कि मृतक कांस्टेबल लक्ष्मीकांत कथित घटना के समय महिला पुलिस थाना सीकर में पदस्थापित था, अभियुक्त संख्या–1 इस थाने में थानाधिकारी थे और शेष अभियुक्तगण भी उपरोक्त थाने में कार्यरत होकर लोक सेवक है। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि मृतक अनुसूचित जाति का सदस्य था और उसे अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों से प्रताडित किया गया और इस कारण से उसके द्वारा आत्म हत्या की गयी। यह आरोप निराधार है, पुलिस द्वारा इस मामले में अलग अलग स्तर पर अनुसंधान किया गया है और बाद अनुसंधान नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है जिसे इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित सिंह शेखावत ने उपस्थिति देकर निवेदन किया कि उनके द्वारा आज ही उपस्थिति दी जा रही है, अपील ज्ञापन की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि अपील ज्ञापन की प्रति परिवादी पक्ष को उपलब्ध करावें।

प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 28.01.2026 के आदेश की क्रियान्विती मात्र सुनवाई की आगामी की तिथि तक स्थगित रखी जावे। आगामी पेशी पर यह अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

प्रकरण दिनांक 14.07.2026 को सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

80/Murari Lal Sharma/418